फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

सीताराम वगै0 बनाम सन्तोष देवी वगै0

मुकदमा संख्या : 171/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	09.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी सं0 1 एवं वकील अप्रार्थी सं0 2 व 3 उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 11.09.2025 को पेश हों।	
	11.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी सं0 1 एवं वकील अप्रार्थी सं0 2 व 3 उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादांकित भूमि खसरा नम्बर 163 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नम्बर 687 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा है। प्रार्थी के पिता नारायण पुत्र सुजी लाल ने वादांकित भूमि के खातेदार गोपी पुत्र नानगा जाति डाकोत के कय की थी तथा खातेदार ने उसी समय भूमि वादग्रस्त का कब्जा प्रार्थी के पिता को संभला दिया था। प्रार्थी के पिता नारायण की मृत्यु के अब प्रार्थी वादांकित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। खातेदार गोपी पुत्र नानगराम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नि की भी देहान्त सन 1983–84 मे हो चुका है तथा उसके कोई सन्तान नही थी तथा ना ही कोई व्यक्ति वारिस है। वादांकित भूमि के संबंध अप्रार्थीगण अलग–अलग फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर अपने हक में नामा0 खुलवाना चाहते है। जिन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में वादांकित भूमि के खुर्द–बुर्द होने की पूर्ण संभवाना है। अतः मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक जारी स्थगन आदेश को कन्फर्म किया जावें। वकील अप्रार्थी सं0 1 एवं वकील अप्रार्थी सं0 2, 3 अपने बहस में निवेदन किया कि वादांकित भूमि के खातेदार गोपी पुत्र नानगा के अप्रार्थी सं0 2 व 3 वारिस है। जिन्हे वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम कराने का बेरूह अधिकार प्राप्त है तथा काबिज खातेदार है। अप्रार्थीगणों की पैतृक भूमि को हडप करने की मंशा से मिथ्या तथ्यों पर विधि विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वादांकित भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा नही रहा तो उसको बेदखल करने का कोई प्रश्न ही नही होता है। अप्रार्थीगण अपनी पैतृक खातेदारी भूमि का विरासत नामान्तकरण खुलवाने के अधिकारी है। जिससे प्रार्थी को कोई गंभीर क्षति नही होती है। अतः पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावें। पत्रावली को अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। अतः पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली से संबंधित मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रार्थना पत्र मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 14.08.2008 को यथावत जारी रखना आवश्यक है।	

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं हो सके। प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 14.08.2008 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म करना उचित समझते है।

अतः पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 14.08.2008 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक ताफैसला कन्फर्म किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति मूल वाद के साथ हमफिता हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर